प्रेसनोट
दिनांक 27.12.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति केन्द्रों पर नियुक्त कर्मियों का 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित–

गोण्डा। शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा सशक्तिकरण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशनएवं क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 27.12.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित अमर शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हाल में जनपद के मिशन शक्ति केन्द्रों में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगणों का 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को I-GOT पोर्टल पर अपलोड वीडियो के माध्यम से मिशन शक्ति केन्द्र की मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वीडियो प्रशिक्षण के माध्यम से मिशन शक्ति केन्द्रों के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्वों एवं शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण, पीड़िताओं से संवेदनशील, सम्मानजनक एवं मानवीय व्यवहार, शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनाए रखने, काउंसलिंग प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों की जानकारी, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा मिशन शक्ति केन्द्रों के सुचारु एवं पारदर्शी संचालन से संबंधित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि मिशन शक्ति अभियान शासन की एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाली योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा कि मिशन शक्ति केन्द्रों में तैनात प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं संवेदनशीलता के साथ करें, जिससे पीड़ित महिलाओं को समयबद्ध न्याय एवं सहायता उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर डब्ल्यू0सी0एस0ओ0 प्रभारी श्रीमती प्रतिभा सिंह द्वारा उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को मिशन शक्ति केन्द्रों की कार्यप्रणाली के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए गए तथा प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी को व्यवहारिक रूप से अपने–अपने कार्यक्षेत्र में लागू करने का आह्वान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद के समस्त थानों के एण्टी रोमियो एवं मिशन शक्ति केन्द्र के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.12.2025

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम संचालितः–

गोण्डा। आज दिनांक 27.12.2025 को शासन की मंशा के अनुरूप बाल विवाह की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम, समुदाय स्तर पर शून्य सहनशीलता का वातावरण विकसित करने, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बालिकाओं एवं बालकों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 27 नवम्बर 2025 से 08 मार्च 2026 (100 दिवसीय) तक संचालित "बाल विवाह मुक्त भारत अभियान" के अंतर्गत जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

उक्त अभियान को सफल बनाये जाने के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार तथा नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) महोदय एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदया सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना एएचटी (एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) की संयुक्त टीम द्वारा थाना परसपुर क्षेत्रांतर्गत स्वामी लीला शाह कान्वेंट पब्लिक स्कूल जगदम्बिका नगर जनपद गोण्डा में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के मध्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्र–छात्राओं को बाल विवाह के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक दुष्परिणामों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा यह बताया गया कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक कुरीति है, बल्कि कानूनन दण्डनीय अपराध भी है। बाल विवाह से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भविष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों, सरकारी योजनाओं एवं हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों द्वारा छात्र–छात्राओं को यह भी अवगत कराया गया कि यदि कहीं भी बाल विवाह की तैयारी अथवा घटना की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 अथवा संबंधित विभागों को देकर समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाई जा सकती है। बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने एवं किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा अवैधानिक गतिविधि के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठाने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रभारी निरीक्षक लालबिहारी (थाना एएचटी), उप निरीक्षक गऊचरन, शाखा एसजेपीयू से प्रभारी निरीक्षक प्रियंका मिश्रा, महिला आरक्षी सुनैना वर्मा तथा अपराजिता सामाजिक समिति, गोण्डा से श्री आत्रेय त्रिपाठी उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.12.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–710/24, धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बृजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र श्रीष देवनरायन सिंह, निवासी ग्राम बसहिया मौजा मुरवा बसहिया, थाना पानापुर, जनपद सारण (बिहार) को मनकापुर बस अड्डा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 22.09.2024 को वादी पवन कुमार निवासी देवतहा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी के पिता राम अयोध्या प्रसाद की मृत्यु वर्ष 1998 में दुर्घटना में हुई थी तथा उनकी नामांकित भूमि की वरासत वर्ष 2020 में प्रार्थी के नाम दर्ज हो चुकी है। विपक्षीगणों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत प्रार्थी के दिवंगत पिता के नाम से कूटरचित व जालसाजी पूर्ण बैनामा तैयार कर विपक्षी श्रीमती खातून के पक्ष में दिनांक 09.05.2018 को गाटा संख्या 846मि0/0.953 हे0 का अवैध बैनामा पंजीकृत करा लिया। प्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर विपक्षीगणों ने गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी दी तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 27.12.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए वांछित अभियुक्त– बृजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र श्रीष देवनरायन सिंह, निवासी ग्राम बसहिया मौजा मुरवा बसहिया, थाना पानापुर, जनपद सारण (बिहार) को मनकापुर बस अड्डा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. बृजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र श्रीष देवनरायन सिंह, निवासी ग्राम बसहिया मौजा मुरवा बसहिया, थाना पानापुर, जनपद सारण (बिहार)।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–710/24, धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 मनीष कुमार
02. हे0कां0 गिरिजेश यादव
03. हे0कां0 अवधेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 27.12.2025</u>

<u>थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्या के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अभियुक्त आदर्श मिश्रा उर्फ श्याम मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा, निवासी ग्राम हथोईया, थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी, को खजुआ अवस्थी पुरवा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 26.12.2025 की रात्रि को थाना कटराबाजार के उ0नि0 पवन सिंह मय हमराह पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। दौरान गश्त मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त आदर्श मिश्रा उर्फ श्याम मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा, निवासी ग्राम हथोईया, थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी, को खजुआ अवस्थी पुरवा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. आदर्श मिश्रा उर्फ श्याम मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा, निवासी ग्राम हथोईया, थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0स0–269/2025, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 पवन सिंह।
02. का0 मनोज कुमार

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>